"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 515] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 नवम्बर 2017 — अग्रहायण 1, शक 1939

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–14/आठ–परि./2017. — यतः, "मिशनरीज ऑफ चैरिटी, आशा भवन, गनियारी रोड, मंगला, बिलासपुर" बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिये चिकित्सा सेवाओं में शामिल है और इस उद्देश्य हेतु एम्बुलेंस का उपयोग उक्त धर्मार्थ संस्था द्वारा किया जाता है;

यतः, राज्य सरकार की राय है कि "मिशनरीज ऑफ चैरिटी, के स्वामित्व के मोटरयान को लोक हित में मोटरयान कर के भुगतान से छूट प्रदान करना समीचीन होगा;

अतएव, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, "मिशनरीज ऑफ चैरिटी, आशा भवन, गनियारी रोड, मंगला, बिलासपुर, छत्तीसगढ़" के स्वामित्व के मोटरयान के पंजीयन क्रमांक सी.जी.10 एफए 8579 (एम्बुलेंस) को, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय मोटरयान कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है ।

No. F-5-14/VIII/Trans./2017. — Whereas, "Missinaries of Charty, Asha Bhavan, Ganiyari Road, Mangla, Bilaspur" is indulged in medical services for the benefit of public at large and for this purpose Ambulance is used by the said charitable institution;

Whereas, the State Government is of the opinion, that it would be expedient to exempt the motor vehicle owned by the "Missionaries of Charty" from payment of motor vehicle tax in the public interest;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, exempt the motor vehicle having Registration Number C.G. 10FA8579 (Ambulance) owned by "Missionaries of Charity, Asha Bhavan, Ganiyari Road, Mangla, Bilaspur" from the payment of motor vehicle tax leviable under Section 3 of the said Adhiniyam, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विजय कुमार धुर्वे**, संयुक्त सचिव.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017